सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 अग्रहायण, 1947 (श०)

संख्या - 549 राँची, गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2025 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

16 जुलाई, 2024

संख्या-14/विविध-19/2023-4331--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 एवं 1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सम्मानित करने एवं सम्मान पेंशन तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है ।

2. आंदोलनकारियों/आश्रितों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए **अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक-10.08.2015, अधिसूचना संख्या-5275, दिनांक-22.09.2018 अधिसूचना संख्या-3840, दिनांक-11.07.2018, अधिसूचना संख्या-1166, दिनांक-28.02.2019, अधिसूचना संख्या-417, दिनांक-22.01.2020, अधिसूचना संख्या-4518, दिनांक-11.11.2022, अधिसूचना संख्या-3810, दिनांक-22.08.2023, अधिसूचना संख्या-3810, दिनांक-22.08.2023, अधिसूचना संख्या-3810, दिनांक-22.08.2023, अधिसूचना संख्या-4972, दिनांक-31.10.2023 एवं अधिसूचना संख्या-694, दिनांक 02.02.2024** द्वारा अधिसूचित किया गया ।

3. उक्त विभागीय अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारियों/ आश्रितों का **कंडिका सुधार संबंधी** प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के **पत्रांक-691, दिनांक-07.06.2024** द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित चिन्हित आंदोलनकारियों/आश्रितों की कंडिका सुधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों / आश्रितों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी श्रेणी के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

क्र०	**चिन्हित आंदोलनकारी/आश्रित का विवरण**	**संकल्प संख्या-2108 दिनांक-07.05.2012 एवं संकल्प संख्या-1938 दिनांक-20.04.21 के तहत पूर्व का वर्गीकरण**	**कंडिका संशोधन करने का आधार**	**संकल्प सं०-1938 दिनांक-20.04.2021 के तहत वर्तमान का वर्गीकरण**
1.	आवेदक मंगल सिंह बोबोंगा पिता-स्व० डोबरो बोबोंगा ग्राम-बोकेसाई पोस्ट-कोटगढ़ थाना-नोवामुंडी प्रखण्ड-नोवामुंडी जिला-पश्चिमी सिंहभूम	अधिसूचना सं0-3840 दिनांक-11.07.2018 कण्डिका-3 (क)	1. सदर चाईबासा थाना काण्ड सं० 59/89, जी०आर० 244/89, सदर चाईबासा थाना काण्ड सं0 64/89. जी०आर० 293/89 तथा चाईबासा (मु०) थाना काण्ड सं० 66/89, जी०आर० 258/89 से संबंधित आवेदक का कारा संसीमन प्रमाण पत्र जिसके अनुसार श्री बोबोंगा दिनांक-11.05.1989 से 21.08.1989 तक संसीमित रहे है। 2. जेल की अवधि-03 माह 10 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(b)
2	आवेदक-लखन बोदरा पिता-स्व० माधो बोदरा ग्राम-बांझी कुसूम पोस्ट-चक्रधरपुर थाना- चक्रधरपुर प्रखण्ड-चक्रधरपुर जिला-पश्चिमी सिंहभूम	अधिसूचना सं0-1166 दिनांक-28.02.2019 कण्डिका-3 (क)	1. गुवा थाना काण्ड सं० 09/80, एस०टी० 54/82 से संबंधित न्यायालय कागजात के अनुसार आवेदक दिनांक-07.10.1980 से 05.02.1981 तक संसीमित रहे है। 2. जेल की अवधि-03 माह 28 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(b)

3	आवेदक-जाण्डोय सिंह पुर्ती उर्फ सुदर्शन पुर्ति पिता-स्व० मानकी पुर्ती ग्राम-पदमपुर पोस्ट-झरझरा थाना-टोकलो प्रखण्ड-चक्रधरपुर जिला-पश्चिमी सिंहभूम	अधिसूचना सं0-3810 दिनांक-22.08.2023 कण्डिका-2(ix)	1. चाईबासा मु० थाना काण्ड सं0 24/93, जी०आर० 158/93 से संबंधित न्यायालय कागजात के अनुसार आवेदक दिनांक-24.03.1993 से 03.04.1993 तक संसीमित रहे है। 2. जेल की अवधि 10 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(a)
4	आवेदक-सुखलाल कुंकल पिता-स्व० अभिराम कुंकल ग्राम-गितिलपी पोस्ट-गितिलपी थाना-मंझारी प्रखण्ड-मंझारी जिला-पश्चिमी सिंहभूम	अधिसूचना सं0-3810 दिनांक-22.08.2023 कण्डिका-2(ix)	1. चाईबासा मु० थाना काण्ड सं0 24/93, जी०आर० 158/93 से संबंधित न्यायालय कागजात के अनुसार आवेदक दिनांक-24.03.1993 से 03.04.1993 तक संसीमित रहे है। 2. जेल की अवधि 10 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(a)
5	आवेदक-जयपाल मांझी पिता-स्व० डोयका मांझी ग्राम-सोनागाडा पोस्ट-मुसाबनी थाना-मुसाबनी प्रखण्ड-मुसाबनी जिला-पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं0-4920 दिनांक-10.08.2015 कण्डिका-2 (अन्य)	1. मुसाबनी थाना अप्राथ० सं० 91/93 से संबंधित आवेदक का कारा संसीमन प्रमाण पत्र जिसके अनुसार श्री जयपाल मांझी दिनांक-04.04.1993 से 08.04.1993 तक संसीमित रहे है। 2. जेल की अवधि-04 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(a)
6	आवेदक-कुनू माहली उर्फ सुना माहली पिता-स्व० चान्द्राई माहली ग्राम-बड़ाकॉजिया, टोला छामड़ा छुट्ट पोस्ट- डुमरिया थाना- डुमरिया प्रखण्ड- डुमरिया जिला-पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं0-5275 दिनांक-22.09.2017 कण्डिका-2 (अन्य)	1. जी०आर० 458/87 से संबंधित आवेदक का कारा संसीमन प्रमाण पत्र जिसके अनुसार सुना माहली दिनांक-03.09.1987 से 07.11.1987 तक संसीमित रहे है। 2. जेल की अवधि-02 माह 04 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(a)

7	आवेदक-मदन कुमार उर्फ मदन लोहरा पिता-स्व० धीरेन लोहरा ग्राम-मकान संख्या-11 ए०, सोनारी पोस्ट-सोनारी थाना-सोनारी प्रखण्ड-जमशेदपुर जिला-पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं0-3810 दिनांक-22.08.2023 कण्डिका-2(ix)	1. सोनारी थाना प्राथ० सं० 68/86, जी०आर० सं० 1885ए/86 से संबंधित आवेदक का कारा संसीमन प्रमाण पत्र जिसके अनुसार श्री मदन लोहरा दिनांक-15.12.1986 से 19.12.1986 तक संसीमित रहे है। 2. जेल की अवधि-04 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(a)
8	आवेदक-शिव काली माइती पिता-स्व० संतोष कुमार माइती ग्राम-बिरसानगर पोस्ट-बिरसानगर थाना-बिरसानगर प्रखण्ड जमशेदपुर जिला-पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं0-694 दिनांक-02.02.2024 कण्डिका-2(ix)	1. गोलमुरी थाना काण्ड सं0 242/92, जी०आर० सं० 2711/92 से संबंधित आवेदक का कारा संसीमन प्रमाण पत्र जिसके अनुसार श्री माइती दिनांक-03.12.1992 से 31.05.1993 तक संसीमित रहे है। 2. जेल की अवधि-05 माह 27 दिन।	**कण्डिका-2(Viii)(b)**
9	आवेदक नन्दलाल महतो पिता-स्व० मितन महतो अधिसूचना सं0-5275 दिनांक-22.09.2017 कण्डिका-2(अन्य) ग्राम-मानटाँड़ पोस्ट-साहु बहियार थाना-तोपचाँची प्रखण्ड-तोपचौंची जिला-धनबाद	अधिसूचना सं0-5275 दिनांक-22.09.2017 कण्डिका-2 (अन्य)	1. तोपचाँची थाना काण्ड सं0 119/87 के आरोप पत्र के हिरासत कॉलम में नाम अंकित एवं काण्ड से संबंधित न्यायालय कागजात के अनुसार आवेदक दिनांक-28.08.1994 से 31.08.1994 तक संसीमित रहे है, अपूर्ण कागजात के कारण मुक्ति तिथि ज्ञात नही हो पाया। 2. जेल की अवधि-न्यूनतम 02 दिन।	**कण्डिका-2(Viii)(a)**
10	आवेदक-समसुद्दीन अंसारी पिता-स्व० मणीरूद्दीन अंसारी ग्राम-पावापुर पोस्ट-सिंहडीह थाना-हरिहरपुर (गोमो) प्रखण्ड-तोपचांची जिला-धनबाद	अधिसूचना सं0-3840 दिनांक-11.07.2018 कण्डिका-2 (अन्य)	1. जी०आर० सं० 1081/93 से संबंधित आवेदक का कारा संसीमन प्रमाण पत्र जिसके अनुसार समसुद्दीन अंसारी दिनांक-14.10.1998 से 17.12.1998 तक संसीमित रहे है। 2. जेल की अवधि-02 माह 03	**कण्डिका-2(Viii)(a)**

			दिन।	
11	आवेदक-पुनीत लाल महतो पिता-स्व० भीम महतो ग्राम-जीतपुर पोस्ट-गोमो थाना-तोपचांची प्रखण्ड-तोपचांची जिला-धनबाद	अधिसूचना सं0-4518 दिनांक-11.11.2022 कण्डिका-2(ix)	1. तोपचाँची थाना काण्ड० सं० 16(2)/74 से संबंधित आवेदक का कारा संसीमन प्रमाण पत्र जिसके अनुसार पुनीत लाल महतो दिनांक-22.02.1974 से 18.04.1974 तक संसीमित रहे है। 2. आयोग के द्वय सदस्य द्वारा स्थानीय जाँच प्रतिवेदन तथा अयोग कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र के आलोक में आयोग के 96वीं बैठक दिनांक-29.11.2023 के निर्णय क्रमांक-04 के द्वारा चिन्हित आन्दोलनकारी श्री पुनीत लाल महतो के कण्डिका संशोधन पर अनुशंसा की गयी है। 3. जेल की अवधि-01 माह 28 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(a)
12	आवेदक दीनानाथ राम पिता-स्व० अर्जुन राम ग्राम-खुरा, लुहर पोस्ट-बरवाडीह थाना-बरवाडीह प्रखण्ड-बरवाडीह जिला-लातेहार	अधिसूचना सं0-417 दिनांक-22.01.2020 कण्डिका-2 (अन्य)	1. सी०एफ० 11/93, 12/93, 14/93 से संबंधित आवेदक का कारा संसीमन प्रमाण पत्र जिसके अनुसार दीनानाथ राम दिनांक-17.04.1996 से 07.06.1996 तक संसीमित रहे है। 2. जेल की अवधि-01 माह 20 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(a)
13	आवेदक सुशील कुमार भगत पिता-स्व० चौठा भगत ग्राम-बोंगा पोस्ट-हिसरी थाना-किस्को प्रखण्ड-किस्को जिला-लोहरदगा	अधिसूचना सं0-4920 दिनांक-10.08.2015 कण्डिका-2 (अन्य)	1. लोहरदगा थाना काण्ड सं० 124/87 से संबंधित आवेदक का कारा संसीमन प्रमाण पत्र जिसके अनुसार सुशील कुमार भगत दिनांक-19.11.1987 से 23.11.1987 तक संसीमित रहे है। 2. जेल की अवधि-04 दिन। 3. नाम/पिता नाम में अंतर से संबंधित अंचलाधिकारी का प्रतिवेदन।	कण्डिका-2(Viii)(a)

14	आवेदक-केदार नाथ अग्रवाल पिता-मदनलाल अग्रवाल ग्राम-वार्ड नं0-07, सरायकेला पोस्ट-सरायकेला थाना-सरायकेला प्रखण्ड-सरायकेला जिला-सरायकेला-खरसावाँ	अधिसूचना सं0-5275 दिनांक-22.09.2017 कण्डिका-2 (अन्य)	1. सरायकेला थाना काण्ड सं0 652/91, से संबंधित न्यायालय कागजात के अनुसार आवेदक दिनांक-12.11.1991 से 22.11. 1991 तक संसीमित रहे है। 2. जेल की अवधि 10 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(a)
15	आवेदक संजय बसु पिता-स्व० सुनील कृष्णा बसु पोस्ट-कांके ग्राम-कांके रोड थाना-कांके प्रखण्ड-कांके जिला-राँची	अधिसूचना सं0-4972 दिनांक-31.10.2023 कण्डिका-2(ix)	1. चाईबासा मु० थाना काण्ड सं0 24/93, जी०आर० 158/93 से संबंधित न्यायालय कागजात के अनुसार दिनांक-24.03.1993 से 03.04.1993 तक संसीमित रहे है। आवेदक 2. जेल की अवधि 10 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(a)
16	आवेदक-करमी देवी (आश्रित पत्नी) पति-स्व० साहेबराम मांझी (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम-झिरके पोस्ट-उलगड्डा थाना-पेटरवार प्रखण्ड-बेरमो जिला-बोकारो	अधिसूचना सं0-4972 दिनांक-31.10.2023 कण्डिका-2(ix)	1. पेटरवार थाना काण्ड० सं० 118/93 से संबंधित आवेदक का कारा संसीमन प्रमाण पत्र जिसके अनुसार साहेबराम मांझी दिनांक-24.09.1993 से 25.09.1993 तक संसीमित रहे है। 2. जेल की अवधि-01 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(a)

4. संबंधित उपायुक्त चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी / आश्रित की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी / आश्रित को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके ।

6. संशोधित कंडिका वाले आंदोलनकारियों को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 की तिथि से देय होगा तथा इससे पूर्व की अवधि के लिए विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 के प्रावधानानुसार सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-01.08.2015 की तिथि से देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह
सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 549 - 50